प्रतिलिपि आदेश दिनांक 02–11–15 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर प्रकरण कमांक निग0 3404–एक / 15 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–10–15 पारित द्वारा कलेक्टर, जबलपुर प्रकरण कमांक 419 / अ–21 / 2013–14.

–––––

गोविन्द सिंह पुत्र श्री सुम्मेर सिंह
उर्फ सुमेरी गौड, निवासी म. नं. 47, मल्धा सागंवा,
तहसील निवास जिला मंडला ––––– आवेदक

<u>विरूद्ध</u>

1– श्री अय्यूब खान पिता मुंशी हकीम
निवासी बंगला नं. 2, सदर जबलपुर
जिला जबलपुर म0प्र0

2– म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर, जिला जबलपुर ––––– अनावेदकगण

–––––

B/5c

गोविंद सिंह विरूद्ध अय्यूब खानि आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3404-एक/15 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-11-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 419/अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 12-10-15 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया । कलेक्टर के आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उन्होंने अपने आदेश में आवेदक अभिभाषक के प्रकरण खारिज करने के निवेदन का उल्लेख करते हुए प्रकरण खारिज किया है । इस संबंध में आवेदक का कहना है कि उनके अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण का यथाशीघ्र निर्णय का अनुरोध किया गया था प्रकरण खारिज करने का अनुरोध नहीं किया था । यह भी कहा गया कि उन्होंने स्वयं आवेदन भूमि विक्रय की स्वीकृति हेतु दिया था इसलिए वे प्रकरण को क्यों खारिज कराना चाहेंगे । उनके द्वारा प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार की अपेक्षा गुणदोष पर करने का अनुरोध किया गया है । विचारोपरांत न्यायहित में यह पाता हॅू कि प्रकरण का निराकरण तकनीकि आधार पर न करते हुए गुणदोष पर किया जाये । अतः इस प्रकरण का निराकरण गुणदोष पर किया जा रहा है । 3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा गुणदोष पर यह तर्क दिया गया कि विक्रय हेतु आवेदित भूमियां आवेदक द्वारा क्रय की गई हैं उक्त भूमियां शासन द्वारा पट्टे पर नहीं दी गई है । तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच उपरांत अपना प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से जिलाध्यक्ष को भेजा गया है जिसमें सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख किया जाकर आवेदित भूमियों के विक्रय की अनुमति की अनुशंसा की गई है । आवेदक के साथ कोई	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	छलकपट नहीं हो रहा है उसे गाइड लाइन के हिसाब से उचित प्रतिफल प्राप्त हो रहा है । आवेदक ग्राम मल्धा सांगमा तहसील मंडला जिला मंडला का निवासी है जबकि आवेदित भूमियां जिला जबलपुर में स्थित हैं, इस कारण आवेदित भूमियों की देखरेख में असुविधा होती है । 4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार को जांच हेतु भेजा । जिस पर से तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदनों में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है आवेदक ग्राम मल्धा सांगमा तहसील व जिला मंडला की निवासी है । यह भी उल्लेख किया गया है कि आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमियां उसे शासन से पट्टे पर नहीं मिली हैं बल्कि आवेदक द्वारा क्रय की गई है । विक्रय की जा रही भूमि का उसको पर्याप्त प्रतिफल मिल रहा है और अंतरण में उसके साथ कोई छल कपट नहीं हो रहा है तथा भूमि विक्रय से आवेदक के आर्थिक हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने पर आवेदक के आर्थिक हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । उपरोक्त स्थिति के प्रकाश में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-10-15 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार करते हुए आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की मौजा गजना नं.बं. 612 प.ह.नं. 46/42 रा.नि. मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 205/1 रकबा 4.470 तथा	

गोविंद सिंह विरूद्ध अयूब खानि आदि

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 3404-एक/15 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	खसरा नं. 173/3 रकबा 2.920 हैक्टर के विक्रय की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है । 1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान वर्ष 2015-16 की गाइड लाइन की दर से भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- क्रेता द्वारा विक्रयपत्र प्रस्तुत करने पर विक्रय धन विक्रेता (आवेदक) के नाम पंजीयन दिनांक को जमा होने की पुष्टि कर उप पंजीयक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन किया जायेगा । 4- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 3 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । उभयपक्ष सूचित हों । सदस्य	